



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 926]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 19, 2016/चैत्र 30, 1938

No. 926]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 19, 2016/CHAITRA 30, 1938

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2016

**का.जा.1437(अ).**— यतः केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 23.03.2016 को आयोजित अपनी बैठक में विश्वस्तरीय अत्याधुनिक प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केन्द्र (ईसीसी) बनाने के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के प्रस्ताव पर विचार किया और मंत्रिमंडल के निर्णय के छह सप्ताह के भीतर एक विशेष मामले के रूप में "रु. 1/- की नाममात्र की दर पर औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को सेक्टर 25, द्वारका, नई दिल्ली में सभी विल्लंगमों से मुक्त 89.72 हैक्टेयर भूमि के अंतरण का अनुमोदन किया ताकि डीडीए की धारा 41(1) के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 21(1) के अधीन निदेश दिए जा सकें। उक्त भूमि का स्वामित्व औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में निहित है और उसके पास ही रहेगा";

2. अब, इसलिए दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 की धारा 21 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा डीडीए को निदेश देती है कि यह विशेष मामले के रूप में दिनांक 04.05.2016 तक डीआईपीपी को सेक्टर 25, द्वारका, नई दिल्ली में रु. 1/- की नाममात्र की दर पर सभी विल्लंगमों से मुक्त 89.72 हैक्टेयर भूमि अंतरित करे।

[फा.सं. जे-13036/01/2015-डीडी-V]

भूपेंद्र बहुगुणा, अवर सचिव

**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT**

(DELHI DIVISION)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th April, 2016

**S.O. 1437(E).**—Whereas, the Union Cabinet, in its meeting held on 23.03.2016, considered Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP)'s proposal for creation of a world class State-of-the-Art Exhibition-cum-Convention Centre (ECC) and approved the “*transfer of land measuring 89.72 Ha in Sector 25, Dwarka, New Delhi free from all encumbrances, to the DIPP at a nominal sum of ₹. 1/- within six weeks of the decision by the Cabinet as a special case so that directions can be given to DDA under Section 21(1) of the DD Act, 1957 read along with Section 41(1) of the Act. The ownership of the said land will vest in and remain with the DIPP*”;

2. Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 41 read along with sub-section (1) of section 21 of the Delhi Development Act, 1957, the Central Government hereby directs DDA to transfer the land measuring 89.72 Ha in Sector 25, Dwarka, New Delhi free from all encumbrances, to DIPP at a nominal sum of ₹. 1/- as a special case by 04.05.2016.

[F. No. J-13036/01/2015-DD-V]

BHUPENDRA BAHUGUNA, Under Secy.